बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक .... / पटना, दिनांक– ....
06 / पणन(स0)–110 / 2025

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰),
बिहार, पटना।

विषय :– **बिहार स्टेट हाउसिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि॰, पटना को व्यवसायिक विस्तारीकरण हेतु वित्तीय सहायता के रूप में एक मुश्त (ONE TIME) रू0 8,00,00,000 / –(आठ करोड़) मात्र के सहायता अनुदान के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

बिहार स्टेट हाउसिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि॰, पटना को व्यवसायिक विस्तारीकरण हेतु वित्तीय सहायता के रूप में एक मुश्त (ONE TIME) रू0 8,00,00,000 / –(आठ करोड़) मात्र के सहायता अनुदान के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–09 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2425 सहकारिता, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–108 अन्य सहकारी समितियों की सहायता, उपशीर्ष–0121 सहकारी समितियों को अनुदान, विस्तृत शीर्ष–31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, विपत्र कोड– 09–2425001080121 से विकलनीय होगा।

3. इस राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। राशि की निकासी CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी तथा आहरित राशि बिहार स्टेट हाउसिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि॰, पटना के खाता संख्या–41581826948, IFSC Code- SBIN0006379, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना में हस्तांतरित की जायेगी। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. (क) बिहार राज्य के क्षेत्राधीन पड़ने वाले फेडरेशन की शाखाऐं ही इस योजना से आच्छादित होंगी। अनुदानित राशि का व्यय बिहार स्टेट हाउसिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि॰, पटना के व्यवसायिक गतिविधियों के विस्तारीकरण हेतु किया जायेगा।

(ख) फेडरेशन अपनी ऋण प्रदायी नीति के आलोक में ऋण वितरण की क्षमता में वृद्धि करते हुए ऋण देने हेतु स्पष्ट अर्हता, प्रक्रिया निर्धारित करेगी ताकि कार्ययोजना पारदर्शी एवं गैर–भेदभावपूर्ण हो।

(ग) फेडरेशन के निदेशक मंडल से कार्ययोजना की स्वीकृति के उपरांत कार्ययोजना की प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे साथ ही अनुवर्ती महीनों में कार्ययोजना की उपलब्धि का मासिक प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे। निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना फेडरेशन द्वारा उपलब्ध करायी गयी मासिक प्रतिवेदन का अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक–26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों / अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

6. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक 4989/वि0(2) दिनांक 16.05.2013 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ हीं उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 18 (अठारह) माह के अंदर प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ के माध्यम से सहकारिता विभाग को प्राप्त करायेंगे।

08. योजना प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा दिनांक 15.09.2025 की बैठक में प्राप्त है।

09. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–06/पणन(स0)–110/2025 के पृष्ठ संख्या 11/टि0 पर दिनांक– 18.09.2025 को प्राप्त है।

10. इस राशि की स्वीकृति हेतु सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या–06/पणन(स0)–110/2025 के पृष्ठ संख्या 12/टि0 पर दिनांक– 19.09.2025 को प्राप्त है।

11. योजना प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार का अनुमोदन संचिका संख्या 06/पणन(स0)–110/2025 के पृष्ठ संख्या 13/टि0 पर दिनांक– 23.09.2025 को प्राप्त है।

ह०/–
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 365 /पटना, दिनांक 24/09/2025
06/पणन(स0)–110/2025

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे के साथ।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा, बिहार, पटना)/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट हाउसिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि॰, ललित भवन, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03 (बजट) सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक कार्यालय निबंधक स0स0, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

24.09.25

सरकार के अपर सचिव।